फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**भेरूलाल वगैरह** | विपक्षी :–**इन्द्रा वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 136 एल.आर.एक्ट | पत्रावली संख्या :–**10/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/24**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम पलानाकलां के आराजी नम्बर 3433/3 रकबा 0.3230 हैक्टेयर किस्म बा. तृतीय राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 श्री भेरूलाल पिता कनीराम खटीक सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त आराजी की पूर्व (लट्ठा शीट) व सेग्रीगेशन नक्शा के स्थिति में कोई अंतर नहीं है।आराजी नम्बर 3432/3 रकबा 0.4856 हैक्टेयर का आकार सेग्रीगेशन नक्शा में छोटा कर दिया है जो कि जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम है। जिसे लट्ठा शीट अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।आराजी नम्बर 3488/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का स्थान लट्ठा शीट के मुकाबले सेग्रीगेशन नक्शा में परिवर्तन कर दिया है। जिसे लट्ठा शीट अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।आराजी नम्बर 3 भी सेग्रीगेशन नक्शे में लट्ठा शीट के मुकाबले स्थान परिवर्तन कर दिया है। जिसे लट्ठा शीट अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक दिनांक 19.09.2025, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल एवंनजरी नक्शा की प्रति संलग्न की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई। जिस पर प्रकरण में वर्णित आराजीयात का नक्शा ट्रेस साबिक नक्शे एवं हाल नक्शे अनुसार बनाया गया है साथ ही साबिक नक्शे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस बनाया गया है। ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के आराजी नम्बर 3433/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर [illegible] तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शे [illegible] किया गया हाल नक्शे में तुलनात्मक अध्ययन करने पर कोई अंतर नहीं पाया गया। [illegible] उक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 3433/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के उत्तर दिशा में स्थित आराजी नम्बर 3, 3432/3 का तुलनात्मक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 3 का रकबा कम करते हुए आकृति में भी परिवर्तन कर दिया गया। क्योंकि आराजी नम्बर 3432/3, 3433/3, 3488/3 तथा रास्ते की आराजीयात के मध्य साबिक नक्शे में आराजी नम्बर 3 ही दर्ज है। जबकि हाल नक्शे में आराजी नम्बर 3432/3, 3433/3 एवं रास्ते के मध्य आराजी नम्बर 3488/3 को दर्शा दिया गया एवं आराजी नम्बर 3386/3 का रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया। जो कि उचित नही है। अर्थात आराजी नम्बर 3, 3432/3, 3386/3, 3488/3 की तरमीम सेग्रीगेशन के दौरान साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई एवं साथ ही उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम नही कर राजस्व नक्शे में कम–ज्यादा कर दिया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही साबिक नक्शे के आधार पर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शा तैयार किया जाना था। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है।साथ ही उक्त आराजीयात की हाल नक्शे में आकृति में भी परिवर्तन कर दिया गया। वैसे भी राजस्व कर्मचारियो को अपने मनमुताबिक तरमीम करने का अधिकार नही है। इस कारण से साबिक नक्शा के अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम नही करने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजीयात का साबिक नक्शे, हाल नक्शे एवं साबिक नक्शे अनुसार तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः साबिक नक्शा अर्थात प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थन[illegible] अन्तर्गत धारा 136भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है [illegible] पलानाकला पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puriadia
Date: 2026.04.16 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested

	पलानाकला तहसील घासा की आराजी नम्बर 3, 3432/3, 3386/3, 3488/3की तरमीम साबिक नक्शा/प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। साबिक नक्शा/प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested